

फर्द अहकाम

घासी बनाम भूलचन्द

उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़

प्रकरण सं०.....२५...../2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
<p><u>२०१८/७</u></p>	<p>पत्राहली पत्र दुई रक्कील घासी को प्रतिवादी भागो को रुकाव किया जाने हेतु नोटिस पत्र कराने के निदेश पत्र में दिने शपथ के बिना पांच हजार प्रदान किया जाने के लावपुद भी आज नोटिस भेजा पत्र नही किया इसी तरह घासी के बाद को ०९२५ में रक्कील किया जात है पत्रपत्नी के साथ शुमार हेतु शुमार ले कर है बाद एवं जारी सुपारद BY (विश्वानिधु पीत) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़</p>

